

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-वित्त/बजट) मध्य प्रदेश भोपाल

क्रमांक/कक्ष-3/बजट-1/2019/5696
प्रति,

भोपाल,दिनांक 29/11/19

1. वन संरक्षक,
कार्य आयोजना भोपाल।
2. वनमंडलाधिकारी,
हरदा उत्पादन/रायसेन उत्पादन/दमोह सा./
पूर्व छिंदवाड़ा सा./रायसेन सा./गुना सा. वनमंडल/भोपाल सा. वनमंडल
मध्यप्रदेश।

विषय:-मांग संख्या 10-2406-01-101-0101-0812-कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना अंतर्गत बजट आवंटन वर्ष 2019-20

- संदर्भ:-1. मुख्य वन संरक्षक होशंगाबाद वृत्त का पत्र क्रमांक/वित्त-बजट/7985 दिनांक 20.11.2019
2. मुख्य वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल का पत्र क्रमांक/4429 दिनांक 20.11.2019
 3. मुख्य वन संरक्षक सागर वृत्त का पत्र क्रमांक/1800 दिनांक 15.11.2019
 4. मुख्य वन संरक्षक छिंदवाड़ा वृत्त का पत्र क्रमांक/2707 दिनांक 26.11.2019
 5. वनमंडलाधिकारी रायसेन सा. वनमंडल का पत्र क्रमांक/1887 दिनांक 5.11.19
 6. मुख्य वन संरक्षक शिवपुरी वृत्त का पत्र क्रमांक 5111 दिनांक 25.11.2019
 7. वन संरक्षक कार्य आयोजना भोपाल का पत्र क्रमांक/स्था./1302 दिनांक 26.11.19
 8. वनमंडलाधिकारी भोपाल सा. वनमंडल का पत्र क्रमांक/लेखा-2/5810 दिनांक 20.11.2019

-0-

संदर्भित विषयांतर्गत आपकी मांग एवं बजट उपलब्धता के आधार पर मांग संख्या 10-2406-01-101-0101-0812-कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना अंतर्गत निम्नानुसार अतिरिक्त बजट आवंटन किया जाता है -

(राशि रूपयों में)

आहरण एवं संवितरण अधिकारी	उद्देश्य/विस्तृत शीर्ष	अतिरिक्त आवंटित बजट
वन संरक्षक कार्य आयोजना भोपाल	11-009 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	4,55,000
वनमंडलाधिकारी हरदा उत्पादन वनमंडल	16-009 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	10,866
वनमंडलाधिकारी रायसेन उत्पादन वनमंडल	11-009 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	1,00,000
वनमंडलाधिकारी दमोह सामान्य वनमंडल	11-009 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	1,32,696

वनमंडलाधिकारी पूर्व छिंदवाड़ा सामान्य वनमंडल	11-009	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	39,806
वनमंडलाधिकारी रायसेन सा. वनमंडल	16-009	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	25,000
वनमंडलाधिकारी रायसेन सा. वनमंडल	11-009	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	1,52,000
वनमंडलाधिकारी गुना सा. वनमंडल	11-009	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	1,00,000
वनमंडलाधिकारी भोपाल सा. वनमंडल	16-009	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	1,00,000

1. उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययता संबंधी आदेशों/निर्देशों के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित करें।
2. चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का भुगतान शासन द्वारा जारी मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-1958 व लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/वित्त विभाग द्वारा जारी नियम एवं निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। उक्त नियम/निर्देश यथावत रहेगे।
3. उक्त आवंटित राशि से संदर्भित पत्रों से मांग की गई राशि का ही भुगतान करें।

(राजेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)
मध्य प्रदेश भोपाल

पृ.क्र./कक्ष-03/बजट-1/2019/5697
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 29/11/19

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) म0प्र0 भोपाल की ओर प्रेषित। कृपया इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय वृत्त होशंगाबाद/भोपाल/सागर/छिंदवाड़ा/शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. कक्ष प्रभारी बजट आवंटन कक्ष, कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट) मध्यप्रदेश भोपाल, उक्त आवंटित राशि सर्वर में अपलोड करावें।

म. म. म. म. म.

(राजेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)
मध्य प्रदेश भोपाल

म. म. म. म. म.
म. म. म. म. म.